समाहरणालय, मधेपुरा

(शस्त्र शाखा)

-: आदेश :-

मो0 सिद्दीक, पिता-मो0 रोशन अली, सा0+पो0-रहुआ, थाना-बिहारीगंज, जिला-मधेपुरा को एक, दो नाली बंदूक की अनुज्ञप्ति संख्या-3265 (बिहारीगंज थाना) प्राप्त है, जिस पर बंदूक संख्या-3422-D/7 धारित है। उनके पुत्र मो0 जफर, पिता-स्व0 मो0 सिद्दीक, सा0+पो0-रहुआ, थाना-बिहारीगंज, जिला-मधेपुरा द्वारा सूचित किया गया है कि उनके पिता मो0 सिद्दीक की मृत्यु दिनांक 11.11.2016 को हो चुकी है। उक्त शस्त्र को बिहार गन हाउस, मधेपुरा में जमा करने हेतु अनुमति के लिए अनुरोध किया गया है।

अतः मो0 जफर, पिता-स्व0 मो0 सिद्दीक द्वारा समर्पित आवेदन पत्र के आलोक में शस्त्र अधिनियम की धारा 17 (6) के तहत उनके पिता स्व0 मो0 सिद्दीक के नाम से निर्गत दो नाली बंदूक की अनुज्ञप्ति संख्या-3265 को रद्द किया जाता है तथा शस्त्र अधिनियम की धारा 21 (1) के तहत धारित बंदूक संख्या-3422-D/7 को बिहार गन हाउस, मधेपुरा में रखने की अनुमति दी जाती है एवं आवेदक मो0 जफर, पिता-स्व0 मो0 सिद्दीक को निदेश दिया जाता है कि मृतक के नाम से निर्गत मूल शस्त्र अनुज्ञप्ति एवं शस्त्र जमा किए गए शस्त्र की पावती रसीद की प्रति जिला शस्त्र दण्डाधिकारी, मधेपुरा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

जिला शस्त्र दंडाधिकारी, मधेपुरा को निदेश दिया जाता है कि वांछित कागजात प्राप्त होने के उपरान्त उक्त आशय की प्रविष्टि संबंधित अनुज्ञप्ति पंजी में कराते हुए अपना हस्ताक्षर पृष्ठांकित कर देंगे।

इसकी सूचना सभी संबंधितों को दी जाए।

ह0/-
जिला दण्डाधिकारी,
मधेपुरा।

ज्ञापांक 129/श0, मधेपुरा, दिनांक 10.12.2016

प्रतिलिपि : मो0 जफर, पिता-स्व0 मो0 सिद्दीक, सा0+पो0-रहुआ, थाना-बिहारीगंज, जिला-मधेपुरा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमंडल दण्डाधिकारी, उदाकिशुनगंज/ थानाध्यक्ष, बिहारीगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, मधेपुरा को मधेपुरा जिला के वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, सम्पूर्ण बिहार राज्य को सूचनार्थ प्रेषित।

जिला दण्डाधिकारी,
मधेपुरा।